राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी)

राजस्थान, जयपुर

कार्यालय भवन की सफाई कार्य हेतु बोली दस्तावेज

(2025–26)

(एक वर्ष के लिए)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302017

दूरभाष :2545831, 2721520 फैक्स : 2721919

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

दस्तावेज सारणी

क.सं.	विवरण
01	बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालो के लिए अनुदेश
03	बोली डाटाशीट
04	बोली के प्रारूप
05	संविदा की शर्ते
06	संविदा प्रारूप
07	अपील
08	अपील का प्रारूप

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

CIN: U74999RJ2004SGC019961
RUIDP
Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)
Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd
Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Ph. – 141 2721966 Fax No. 141 2721919,
E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website: -https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

संख्याः प.4(7)आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/2876 दिनांकः 16/06/25

(01)

बोली आमंत्रण सूचना/2025–26

आरयूआईडीपी के जयपुर स्थित कार्यालय में एक वर्ष के लिए कार्यालय भवन की सफाई कार्य हेतु अनुमानित राशि रूपये 2.90 लाख वार्षिक के लिए इच्छुक फर्मों/व्यक्तियों से सील बन्द बोलियॉ आमंत्रित की जाती हैं। बोली शर्तो का अवलोकन कार्यालय की वैबसाईट एवं State Public Procurement Portel http://SPPP.raj.nic.in पर किया जा सकता है एवं बोली दस्तावेज को Download किया जा सकता है।

बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी। जिसे कार्यालय से 200/– रूपये का भुगतान कर भी प्राप्त किया जा सकेगा अथवा एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड कर फार्म फीस राशि रूपये 200.00 रूपये की डीडी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। इस राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। जो बोलियां विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा। बोली के साथ 5,800.00 रुपये (अक्षरे राशि रूपये पांच हजार आठ सौ मात्र) की बोली प्रतिभूति नकद/बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो कि बोली की मूल कालावधि से तीस दिवस अग्रिम तक विधि मान्य हो, के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 16.06.2025 से 24.06.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली प्रपत्र दिनांक 24.06.2025 को 3.00 बजे तक प्राप्त कर एवं दिनांक 24.06.2025 को 3.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

बोली लगाने वालो के लिए अनुदेश

(02)

1. बोली दस्तावेज शुल्क की राशि रुपये 200/– (अक्षरे दो सौ रु. मात्र) नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट
2. अनुमानित लागत राशि 2,90,000/–मात्र (सर्विस चार्ज/कर/जीएसटी सहित)
3. बोली प्रतिभूति राशि रुपये 5,800/– परियोजना निदेशक अरबन सैक्टर डवलपमेन्ट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) जयपुर के पक्ष में देय होगा।
4. दरें कार्यादेश जारी होने के बाद से एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। पारस्परिक समझौते के आधार पर अवधि 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
5. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि RTPP Rule, 2013 के अनुसार जमा करानी होगी। उक्त राशि में बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकता है।
6. बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता दिए गए समय में कार्यालय भवन की सफाई का कार्य नहीं करा पाता है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. श्रम विभाग के नियम उपनियम व अधिसूचनाओ आदि में दिये गये दिशा–निर्देशो एवं समस्त श्रम नियमो की पालना करने का दायित्व बोलीदाता का होगा। पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
8. बोलीदाता का पीएफ/ईएसआई इत्यादि श्रम अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कटौती संबंधी औपचारिकता पूर्ण करने का दायित्व बोलीदाता फर्म का रहेगा।
9. बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको को किसी भी रूप में राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के लिये आवेदन अथवा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा (वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 15.04.2011 एवं 29.04.2011)।
10. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
11. प्राप्त बोली में किसी बिन्दु पर जानकारी स्पष्ट नही होने की स्थिति में संबधित बोलीदाता को स्पष्टीकरण हेतु लिखा/बुलाया जा सकता है एवं स्पष्टीकरण उपरान्त विभाग किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकृत कर सकता है। जिसके के संबध में कोई स्पष्टीकरण जारी नही किया जावेगा।
12. कार्यालय द्वारा आमंत्रित बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग / कार्यालय को होगा।

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

(03)

बोली डाटा शीट

फर्म की स्थिति में		
1.	फर्म का नाम	
2.	स्थापना वर्ष	
3.	कार्यालय का पता	
4.	दूरभाष नंबर	
5.	फैक्स नंबर	
6.	ई–मेल	
7.	जयपुर स्थित कार्यालय का पता	
8.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण (सेवा एवं कार्यानुभव)	

व्यक्ति की स्थिति में		
1.	व्यक्ति का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	पता	
4.	श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर	
5.	रजिस्ट्रेशन में श्रमिक आपूर्ति की अधिकतम संख्या	
6.	रजिस्ट्रेशन माह एवं वर्ष	
7.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र मय विवरण आयकर सेवाकर/सेवा एवं कार्य का अनुभव अन्य	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

(04)

कार्य दरों का विवरण

सफाई कार्य की दरें निम्नानुसार होंगी

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूतम मजूदरी सहित प्रस्तावित मासिक दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूतल से तृतीय तल (तीन फ्लोर) तक सम्पूर्ण कार्यालय एवं कार्यालय की समस्त सीवर लाईनों व खुला प्रांगण का सम्पूर्ण सफाई कार्य। नियोजित श्रमिकों का विवरण (3 श्रमिक X 7410 रूपये प्रतिमाह न्यूतम मजदूरी दों पारियों में प्रातः 8 से 12 एवं 2 से 6 बजे तक)	अकुशल तीन	7410					

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि जमा कराये जाने का प्रकार	संख्या एवं दिनांक
01.	बोली दस्तावेज की शुल्क की राशि	200 / —		
02.	बोली प्रतिभूति राशि	5,800 / —		

हस्ताक्षर बोलीदाता

मय सील (फर्म की स्थिति में)

पता:—

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

(05)

बोली की सामान्य एवं विशेष शर्ते

1. बोली प्रपत्र, (सील बन्द लिफाफे में) जो कि विभाग से जारी किया हुआ हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. बोली के सभी प्रपत्र के अनुलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए।
3. बोली प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. बोली विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार के संशोधन के साथ दी गई बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने के परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर को पूर्ण अधिकार होंगे।
5. बोली लगाने वाली फर्म की निम्न जानकारी बोली प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न की जायेः–
   (1) यदि एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
   (2) यदि भागीदारी का है – भागीदारी डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र तथा सभी भागीदारों के पूर्ण नाम एवं पते।
   (3) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेटस् तथा सभी डाईरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
   (4) पंजीकृत संवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
6. बोली के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी बोली को परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर को किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकार होंगे।
7. बोली प्रपत्र में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगने पर मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्व से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
9. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी बोलीदाता इस हेतु किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
10. बोली स्वीकार होने की दशा में बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में करार निष्पादित करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नही करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. बोली स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले कान्ट्रेक्ट की पालना के लिए बोलीदाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
12. स्वीकृत बोली के बोलीदाता को कुल कार्य की राशि का पांच प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाना होगा। प्रतिभूति रोकड़, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
13. बोली के साथ बोलीदाता को नियमानुसार निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा तभी बोली स्वीकार की जाएगी।
    (1) बोली प्रतिभूति राशि बोलीदाता को बोली की अस्वीकृति पर बोलीदाता द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी।
    (2) बोली स्वीकृत होने की दशा में बोली प्रतिभूति राशि [illegible] प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई/समायोजित की जा सकेगी।
14. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
15. स्वीकृत बोलीदाता उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियों [illegible] क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kap Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

16. किसी भी कार्य पर बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकेगा। कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी। न्यूनतम मजदूरी देने का दायित्व बोलीदाता का रहेगा।

17. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों बोलीदाता एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर या उनके मनोनित व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थर्ती वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक–एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

18. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

19. बोलीदाता द्वारा की गई सेवाओं का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर फर्म बोलीदाता बिल तीन प्रतियों में परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर को प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत बिल नियोजित श्रमिकों के अनुसार प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना होगा।

20. निविदा में उल्लेखित नियोजित कामगारों की प्रतिदिन उपस्थिति कार्यालय में अंकित की जाकर प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित करानी होगी।

21. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो उसकी पूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, नहीं किए जाने की दशा में प्रतिभूति राशि से समायोजित की जावेगी।

22. राजकीय कार्यालय में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है अथवा निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

23. बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली सेवाएं परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के अनुसार संतोषजनक होनी चाहिए।

24. यदि बोलीदाता का स्टॉफ परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर या इसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो बोलीदाता द्वारा ऐसे स्टॉफ के स्थान पर अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराया जावेगा।

25. श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी श्रम कानूनों / न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का दायित्व बोलीदाता का होगा।

26. बोली की आरम्भिक अवधि एक वर्ष की होगी। दोनो पक्षो की सहमति द्वारा अनुबंध की शर्तों पर इसे आगे बढाया जा सकता है।

27. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी, उनके द्वारा यदि किसी शर्त या अनेक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं बोली प्रतिभूति / कार्य संपादन राशि जब्त कर ली जावेगी।

28. बोलीकर्ता को बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर बोली को निरस्त करने का अधिकार परियोजना निदेशक राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के पास सुरक्षित होगा।

29. इस विभाग में स्थित भूतल से तृतीय तल तक में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कमरे (मय शौचालय) व कार्यालय परिसर में सफाई जिसमें झाडू/डस्टर से झालें, खिडकियों व दरवाजों की सफाई बरामदें में फर्श पर पौचा आदि की सफाई सम्मिलित है सफाई कार्य में उपयोगी सामान टायलेट क्लीनर, फिनाईल, साबुन, सर्फ, नेपथलीन की गोली आदि का उपयोग किया जाएगा जो कि आवश्यकतानुसार कार्यालय के स्टोर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

30. सफाई का कार्य करने वाले कर्मचाारियों विभाग के कर्मचाारियों के आने के पश्चात् उन्हे कमरा संभलाकर अपनी ड्यूटी स्थान छोडेंगे अन्यथा सामान आदि की चोरी हो जाने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। कमरों की सफाई करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे उपस्थित होगें एवं चौकीदार से कमरों की चाबियॅा सफाई हेतु प्राप्त करेगें। सभी कमरों की सफाई प्रातः 9:15 बजे से पूर्व हो जानी चाहिये। दोपहर 2:00 बजे बाद पुनः लॉबी, [illegible] तथा बरामदे में पौछा लगाना होगा तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय परिसर की सफाई भी करनी होगी।

31. समस्त बरामदों की धुलाई सप्ताह में एक बार करनी होगी [illegible] लगाना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

32. कार पार्किंग, स्कूटर–स्टैण्ड, परिसर के पेड़ों के नीचे की सफाई प्रतिदिन करनी होगी तथा साप्ताहिक धुलाई करनी होगी।

33. विशेष अवसरों पर जैसे – 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली व दीपावली पर कार्यालय की सफाई की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

34. सफाई के पश्चात् कूडा–कचरा बताये गये एक निर्धारित स्थान पर एकत्रित करना तथा उसे अगले दिवस नगर निगम के वाहन में डलवाने की व्यवस्था करनी होगी।

35. सफाई एवं कचरा उठाने के काम में आने वाले अन्य औजार सामग्री इत्यादि बोलीदाता की जिम्मेदारी पर विभाग में निर्धारित स्थान पर रखे जा सकते है परन्तु सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वंय की होगी।

36. परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर एवं विभाग के अन्य उच्चाधिकारी समय–समय पर सफाई कार्य का निरीक्षण करने के लिये अधिकृत होगें। परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर द्वारा सफाई के संबंध में दिये गये समस्त आदेशों की पालना करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के बोलीदाता को कार्य करना होगा। अवहेलना करने पर अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।

37. समय पर सफाई कार्य नहीं करने पर यह विभाग किसी भी अन्य व्यक्ति से यह कार्य करवा सकता है और उसका समस्त व्यय बोलीदाता के बिल में से काट लिया जायेगा। समय पर काम नहीं करने के कारण बोलीदाता को आर्थिक क्षतिपूर्ति भी करनी होगी। क्षतिपूर्ति की रकम जोखिम पर कराये गये काम के मूल्य की दुगुनी तक हो सकती है। आर्थिक दण्ड की राशि कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि अथवा बिल में से वसूल किये जाने का अधिकार इस विभाग को होगा।

38. बोलीदाता के व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

39. बोलीदाता के व्यक्तियों द्वारा यदि विभाग की सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो बोलीदाता को स्वंय उस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

40. बोलीदाता द्वारा निर्धारित कार्य सन्तोषप्रद तरीके से समय पर नहीं होने के कारण प्रतिदिन व्यय राशि से दुगुना तक जुर्माना किया जा सकता है।

41. बोली की व्यवस्था अथवा बोली की शर्तो एवं किसी भी अन्य संबंधित मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावें तो उस विवाद पर, परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि संवेदक को मान्य होगा।

42. बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराये जाने पर बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

43. बोली स्वीकृत हो जाने की स्थिति में कार्यादेश से 7 दिवस की अवधि में बोलीदाता को 500/– के स्टॉम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबंध पत्र प्रतिपादित करना होगा जो बोली की अवधि के लिय वैध होगा।

44. आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी कार्यालय में सफाई कार्य करना होगा।

45. कार्यालय के परियोजना निदेशक कक्ष, अतिरिक्त परियोजना निदेशक कक्ष, वित्तीय सलाहकार कक्ष एवं मीटिंग हॉल की सफाई सप्ताह में दो बार स्वयं के वैक्यूम क्लीनर से करनी होगी।

46. बोलीदाता को बोली छूटने पर अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक/एफ.डी.आर जयपुर की बैंक शाखा से ही जारी होना चाहिए।

47. निविदा संबंधी अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 यथा संशोधित अनुसार होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

(06)
संविदा प्रारूप

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष .... और द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध पर सफाई व्यवस्था निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूतम मजदूरी सहित प्रस्तावित मासिक दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7	8	9
1	भूतल से तृतीय तल (तीन फ्लोर) तक सम्पूर्ण कार्यालय एवं कार्यालय की समस्त सीवर लाईनों व खुला प्रांगण का सम्पूर्ण सफाई कार्य। नियोजित श्रमिकों का विवरण (3 श्रमिक X 7410 रूपये प्रतिमाह न्यूतम मजदूरी दों पारियों में प्रातः 8 से 12 एवं 2 से 6 बजे तक)	अकुशल तीन	7410					

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तोवज में अंकितानुसार होंगी जो कि इस अनुबन्ध का भाग है।

संलग्न : बोली दस्तावेज।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष **हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष**

कार्यालयाध्यक्ष
आर.यू.आई.डी.पी.,जयपुर

1. साक्षी–प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

1. साक्षी–प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

<u>अपील</u>
<u>(07)</u>

1. **<u>राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत</u>** :–

प्रथम अपील अधिकारी– सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि

द्वितीय अपील अधिकारी– सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि होगे।

2. **<u>अपील का प्रारूप</u>** :–

   1. धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियो के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
   2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
   3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **<u>अपील फाइल करने के लिए फीस</u>** :–

   (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

   (ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

अपील प्रारूप
(08)

फार्म नंबर–1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.................................अपील संख्या...

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) ....के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियॉं :

   1. अपीलार्थी का नाम :

   2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

   3. आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :

   1.

   2.

   3-

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिऐ प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता:
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रो और दस्तावेजो की संख्या
6. अपील का आधार :

....

....

(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

CIN: U74999RJ2004SGC019961
RUIDP
Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)
Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd
Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Ph. – 141 2721966 Fax No. 141 2721919,
E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website: -https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

संख्याः प.4(7)आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/ 2877 दिनांकः 16/06/25

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय परिसर, राज. जयपुर।

विषयः– कार्यालय भवन की सफाई हेतु बोली प्रकाशन बाबत।

महोदय,

कृपया संलग्न कार्यालय भवन की सफाई हेतु बोली आमंत्रण सूचना को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

संलग्नः– सूचना की छः प्रतियां।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

संख्याः प.4(7)आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/ 2878 - 79 दिनांकः 16/06/25

प्रतिलिपि :–

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), आरयूआईडीपी जयपुर, एसपीपीपी पोर्टल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सूचना पट्ट।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380

CIN: U74999RJ2004SGC019961
RUIDP Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)
Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd
Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Ph. – 141 2721966 Fax No. 141 2721919,
E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website: -https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

संख्याः प.4(7)आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/ दिनांकः

बोली आमंत्रण सूचना/2025–26

आरयूआईडीपी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय भवन की सफाई कार्य हेतु अनुमानित राशि रूपये 2.90 लाख वार्षिक के लिए निविदा की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र https://sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय वैबसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp पर उपलब्ध है।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

UBN No.

Signature valid
Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project Director
Date: 2025.06.16 16:37:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15923380